

## “आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1वर्ष 2018) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-E-25478/3(11) 2010, NO-369/XIII-1/23 दिनांक 08.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX (2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के क्रम में श्री शुभम रावत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर, एवं श्री संजय रावत कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी, जनपद उत्तरकाशी का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री शुभम रावत वर्ग-3	कृ०ए०भू०स०अ० कीर्तिनगर, जनपद टिहरी	कृ०ए०भू०स०अ० मोरी, जनपद उत्तरकाशी	पारस्परिक
2.	श्री संजय रावत वर्ग-3	कृ०ए०भू०स०अ० मोरी जनपद उत्तरकाशी	कृ०ए०भू०स०अ० कीर्तिनगर जनपद टिहरी	

श्री शुभम रावत एवं श्री संजय रावत वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री शुभम रावत एवं श्री संजय रावत का पारस्परिक स्थानान्तरण किया जा रहा है, जिस हेतु इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

सम्बन्धित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

-६०/-

(डा० अभय सक्सेना)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 162। /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक ०५-६- 2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री शुभम रावत वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर।
2. श्री संजय रावत वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर/मोरी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री शुभम रावत एवं श्री संजय रावत वर्ग-3 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी/उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिकों की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली।

09/6/23

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,



## “आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1वर्ष 2018) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-E - 25478/3(11)2010, NO-369/XIII-1/23 दिनांक 08.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के क्रम में श्रीमती संगीता तिवारी, वर्ग-3 कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत, एवं श्रीमती स्वप्निल विष्ट, वर्ग-3 कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती संगीता तिवारी वर्ग-3	कृ०ए०भू०स०अ० रानीखेत, अल्मोडा	कृ०ए०भू०स०अ० सतपुली पौड़ी	पारस्परिक
2	श्रीमती स्वप्निल विष्ट वर्ग-3	कृ०ए०भू०स०अ० सतपुली जनपद पौड़ी	कृ०ए०भू०स०अ० रानीखेत अल्मोडा	

श्रीमती संगीता तिवारी एवं श्रीमती स्वप्निल विष्ट वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती संगीता एवं श्रीमती स्वप्निल का पारस्परिक स्थानान्तरण किया जा रहा है, जिस हेतु इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

सम्बन्धित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

-६०१-

(डा० अभय सक्सेना)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,


देहरादून

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1622 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक ०९-०६-2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती संगीता वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत।
2. श्रीमती स्वप्निल वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत/सतपुली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती संगीता एवं श्रीमती स्वप्निल वर्ग-3 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा/पौड़ी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिकों की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
7. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8. गार्ड पत्रावली।

  
09/6/23

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून।



## “आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1वर्ष 2018) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-E - 25478/3(11)2010, NO-369/XIII-1/23 दिनांक 08.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX (2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अजय कुमार सिंह वर्ग-3	मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग	मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।	निजी अनुरोध

श्री अजय कुमार सिंह वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से दुर्गम क्षेत्र में तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—हस्ताक्षर—

(डा० अभय सक्सेना)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1623 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक १-६- 2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री अजय कुमार सिंह सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अजय कुमार सिंह वर्ग-3 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून



## “आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1वर्ष 2018) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-E - 25478/3(11)2010, NO-369/XIII-1/23 दिनांक 08.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX (2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती प्रियंका लोहिया वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पिथौरागढ़	मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	निजी अनुरोध

श्रीमती प्रियंका लोहिया वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती लोहिया का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर दुर्गम क्षेत्र में अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

- ६०१ -  
(डा० अभय सक्सेना)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1624 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 03-6-2023  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती प्रियंका लोहिया सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पिथौरागढ़।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती लोहिया वर्ग-3 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून/पिथौरागढ़।
6. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
8. गार्ड पत्रावली।

09/6/23  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून



## “आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1वर्ष 2018) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, NO-369/XIII-1/23 दिनांक 08.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अमित नारायण सिंह वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अल्मोडा	मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल	निजी अनुरोध

श्री अमित नारायण सिंह वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—६०१—  
(डा० अभय सक्सेना)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1625 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09-06-2023  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री अमित नारायण सिंह सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अल्मोडा।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अल्मोडा को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अमित नारायण सिंह वर्ग-3 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल, को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा।
6. मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल।
7. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
8. गार्ड फ़ाइल।

  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून



## “आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI (3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1वर्ष 2018) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-E -25478/3(11)2010, NO-369/XIII-1/23 दिनांक 08.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX (2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती प्रियंका थपलियाल वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली	मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा	निजी अनुरोध

श्रीमती प्रियंका थपलियाल वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती थपलियाल का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—६०१—

(डा० अभय सक्सेना)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 1626 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3 /वार्षिक स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक ०५-०६-2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती प्रियंका थपलियाल वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती थपलियाल वर्ग-3 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
8. गार्ड पत्रावली।

09/6/23

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून